[2019] 7 एससीआर 968।

किरोड़ी (अब मृत) अपने वकीलों के माध्यम से

बनाम

राम, प्रकाश और अन्य

(2019 की सिविल अपील संख्या 4988)

मई 10, 2019

[न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी]

अपील: नियमित दूसरी अपील - कानून के प्रश्न को तैयार न करना - अपीलकर्ता की दलील कि नियमित दूसरी अपील पर कानून का सवाल तैयार किए बिना फैसला किया गया था - उक्त याचिका के समर्थन में, अपीलकर्ता ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से निकलने वाले फैसलों पर भरोसा किया - माना: नागरिक प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम की धारा 97 के आधार पर, 1976 (संशोधन अधिनियम), सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 में संशोधन किया गया था, जिसमें दूसरी अपील में कानून के पर्याप्त प्रश्न को अनिवार्य रूप से शामिल करने की आवश्यकता थी - हालांकि, पंजाब और हरियाणा में, पंकजाक्षी मामले में संविधान पीठ के फैसले के मद्देनजर एक अलग कानूनी स्थिति प्रचलित है - पंकजाक्षी मामले में, यह राय दी गई थी कि संशोधन अधिनियम की धारा 97 प्रधान अधिनियम में किए गए संशोधनों को प्रतिबंधित करती है जो इसके प्रतिकूल थे। इसलिए, यदि राज्य विधानमंडल द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता में कोई राज्य संशोधन अधिनियमित किया गया था या राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा नागरिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के संबंध में एक नियम बनाया गया था, जो इसके विपरीत था, तो वह संशोधन अधिनियम के बचत खंड के प्रावधानों से प्रभावित होगा - चेतावनी, हालांकि, यह था कि पंजाब अधिनियम होने के नाते विचाराधीन कानून एक संविधान-पूर्व अधिनियम है और इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 के प्रावधानों द्वारा प्रभावित कानून नहीं है, जो राज्य अधिनियमों को अधिनियमों के प्रतिकूल मानता है जब वे समवर्ती सूची के माध्यम से केंद्र द्वारा अधिनियमित कानूनों के विपरीत होते हैं - कानून को भारत के संविधान के अनुच्छेद 372 (1) द्वारा पूर्व-संवैधानिक होने के कारण बचाया गया था। अधिनियमन जो तब तक लागू रहना था जब तक कि सक्षम विधायिका द्वारा परिवर्तित या निरस्त या संशोधित नहीं किया जाता था - ऐसा कोई निरसन नहीं हुआ था, इसलिए, कानून काम करना जारी रखता है - संविधान पीठ के फैसले का प्रभाव यह है कि जहां तक पंजाब राज्य का संबंध है, दूसरी अपील के लिए कानून के पर्याप्त प्रश्न के निर्माण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पंजाब अधिनियम राज्य के लिए लागू था - इस प्रकार, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 - सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - धारा 100 - नागरिक प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1976 – धारा 97 – भारत का संविधान – अनुच्छेद 254 और 372 (1) के तहत कोई अतिरिक्त प्रभाव वाला क्षेत्र नहीं होगा।

वकीलों और अन्य के माध्यम से पंकजाक्षी (मृत) बनाम चंद्रिका और अन्य (2016) 6 एससीसी 157: [2016] 3 एससीआर 1018 - इसके बाद।

चांद कौर (डी) वकीलों के माध्यम से बनाम मेहर कौर (डी) वकीलों के माध्यम से 2019 (5) स्केल 397; सूरत सिंह (मृत) बनाम सिरी भगवान और अन्य 2018 (4) एससीसी 562: [2018] 1 एससीआर 1063 - सही कानून नहीं है।

कुलवंत कौर और अन्य बनाम गुरदयाल सिंह मान (मृत) वकीलों और अन्य द्वारा (2001) 4 एससीसी 262: [2001] 2 एससीआर 525 -

केस कानून संदर्भ

2019 (5) स्केल 397 सही कानून पैरा 3 नहीं

[2018] 1 एससीआर 1063 सही कानून पैरा 3 नहीं है।

[2016] 3 एससीआर 1018 ने पैरा 4 का अनुसरण किया।

[2001] 2 एससीआर 525 पैरा 8 को संदर्भित किया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4988/2019।

नियमित द्वितीय अपील, आरएसए संख्या 1393/2012 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 30.10.2018 के निर्णय और आदेश से।

अपीलकर्ताओं के वकील राजेश गुप्ता, राहुल वी. सिंह, बांके बिहारी।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था

आदेश

1. अपील की अनुमति दी गई।

2. एकमात्र तर्क यह है कि नियमित दूसरी अपील पर कानून का सवाल तैयार किए बिना फैसला किया गया है।

3. उपरोक्त याचिका का समर्थन करने के लिए, अपीलकर्ता के वकील ने सिविल अपील संख्या 3276-3281/2019 में वकीलों के माध्यम से चांद कौर (डी) बनाम वकीलों के माध्यम से मेहर कौर (डी) और सिविल अपील संख्या 9118-9119-2010 में सूरत सिंह (मृत) बनाम श्री भगवान और अन्य शीर्षक वाले सिविल अपील संख्या 9118-9119-2010 के फैसलों पर भरोसा किया है। वह दो अन्य फैसलों पर भी भरोसा करते हैं, अर्थात सिविल अपील संख्या 4451/2009, जिसका शीर्षक वकीलों और अन्य के माध्यम से श्रीकांत बनाम नारायण सिंह (डी) है और सिविल अपील संख्या 1117/2001, जिसका शीर्षक संतोष हजारी बनाम पुरुषोत्तम तिवारी (डी) है, दोनों मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से आने वाले वकीलों द्वारा।

4. सुनवाई की पिछली तारीख पर, हमने अपीलकर्ता (ओं) के वकील को बताया था कि जहां तक पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का संबंध है, इस न्यायालय की सिविल अपील संख्या 201/2005 में इस न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले के मद्देनजर एक अलग कानूनी स्थिति प्रबल होगी, जिसका शीर्षक वकीलों और अन्य बनाम चंद्रिका और अन्य के माध्यम से पंकजाक्षी (मृत) है।

5. दुर्भाग्यवश, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील से उत्पन्न पहले दो निर्णयों के संबंध में, संविधान पीठ के निर्णय को मामलों पर निर्णय लेने वाली पीठ के ध्यान में नहीं लाया गया है।

6. हम विवाद को शांत करने के लिए संविधान पीठ के फैसले से उभरने वाली स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं।

7. इसमें कोई संदेह नहीं है कि नागरिक प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 97 (इसके बाद "संशोधन अधिनियम" के रूप में संदर्भित) और नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1976 की धारा 100 (इसके बाद 'कोड' के रूप में संदर्भित) के आधार पर संशोधन किया गया था, जिसमें दूसरी अपील में अनिवार्य रूप से उस पर विचार करने के लिए कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल करना आवश्यक था।

8. वकीलों और अन्य द्वारा शुरू में कुलवंत कौर और अन्य बनाम गुरदयाल सिंह मान (मृत) मामले में यह माना गया था कि संहिता की धारा 100 को पंजाब अदालत अधिनियम, 1918 (इसके बाद 'पंजाब अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 41 पर वरीयता दी जाएगी, जिसमें स्पष्ट रूप से कानून के इस तरह के पर्याप्त प्रश्न को तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। यह माना गया कि पंजाब कोर्ट अधिनियम की धारा 41 संहिता की धारा 100 के संशोधित प्रावधानों और संशोधन अधिनियम की धारा 97 के प्रतिकूल होने के कारण, पंजाब अधिनियम की धारा 41 अब इस क्षेत्र को नहीं रखेगी और कानून के पर्याप्त प्रश्न तैयार करने की आवश्यकता होगी।

पंजाब न्यायालय अधिनियम की धारा 41 निम्नानुसार है:

"धारा 41 - दूसरी अपील

(1) निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा अपील में पारित प्रत्येक डिक्री से उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी, अर्थात्:

(ए) निर्णय कानून के विपरीत है या कानून के बल वाले किसी रिवाज या उपयोग के विपरीत है:

(ख) वह निर्णय जो कानून के बल पर कानून या रीति-रिवाज या उपयोग के कुछ भौतिक मुद्दे को निर्धारित करने में विफल रहा है:

(ग) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 [1908 का V], या तत्समय लागू किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान की गई प्रक्रिया में कोई पर्याप्त त्रुटि या दोष, जिसने संभवतः गुण-दोष के आधार पर मामले के निर्णय में त्रुटि या दोष उत्पन्न किया हो: 1 [स्पष्टीकरण - किसी प्रथा या उपयोग के अस्तित्व या वैधता से संबंधित प्रश्न को अर्थ के भीतर कानून का प्रश्न समझा जाएगा। (2) इस धारा के अधीन एकपक्षीय रूप से पारित अपीलीय डिक्री से अपील की जा सकती है। (3) [1941 के पंजाब अधिनियम 6 की धारा 2 बी द्वारा निरस्त]

9. इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने हालांकि वकीलों और अन्य (सुप्रा) के माध्यम से पंकजाक्षी (मृत) में राय दी कि संशोधन अधिनियम की धारा 97 मूल अधिनियम में किए गए संशोधनों पर रोक लगाती है जो इसके प्रतिकूल थे और इसलिए, यदि राज्य विधायिका द्वारा संहिता में कोई राज्य संशोधन लागू किया गया था या राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा संहिता के प्रावधानों के संबंध में एक नियम बनाया गया था जो इसके विपरीत था। संहिता संशोधन अधिनियम के बचत खंड के प्रावधानों से प्रभावित होगी। हालांकि, चेतावनी यह थी कि पंजाब अधिनियम होने के नाते विचाराधीन कानून एक संविधान-पूर्व अधिनियम है और इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 के प्रावधानों द्वारा प्रभावित कानून नहीं है, जो राज्य अधिनियमों को

अधिनियमों के प्रतिकूल मानता है जब वे समवर्ती सूची के माध्यम से केंद्र द्वारा अधिनियमित कानूनों के विपरीत होते हैं। इस कानून को भारत के संविधान के अनुच्छेद 372 (1) द्वारा बचाया गया था, जो एक पूर्व-संवैधानिक अधिनियमन था, जिसे सक्षम विधायिका द्वारा परिवर्तित या निरस्त या संशोधित किए जाने तक लागू रहना था। ऐसा कोई निरसन नहीं हुआ, इसलिए, कानून काम करना जारी रखता है।

10. संविधान पीठ के निर्णय का प्रभाव यह है कि जहां तक पंजाब राज्य का संबंध है, दूसरी अपील के लिए कानून के पर्याप्त प्रश्न के निर्माण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पंजाब अधिनियम राज्य के लिए लागू होगा। इसलिए, संहिता की धारा 100 इस क्षेत्र को अधिमान्य प्रभाव नहीं देगी।

11. संविधान पीठ की चर्चा इस प्रकार है:

24. कुलवंत कौर मामले में फैसले ने एक सवाल उठाया जो पंजाब कोर्ट एक्ट, 1918 की धारा 41 के आवेदन पर उठा। इस धारा को नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के समान भाषा में रखा गया था क्योंकि यह नागरिक प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1976 से पहले मौजूद था, जिसने धारा 100 में संशोधन करके इसे और अधिक प्रतिबंधात्मक बना दिया था ताकि दूसरी अपील केवल तभी दायर की जा सके जब मामले में कानून का पर्याप्त प्रश्न शामिल हो। इस न्यायालय ने अपने समक्ष यह प्रश्न रखा था कि क्या सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 97 (1) के आधार पर धारा 41 निरस्त हो गई है, जो निम्नानुसार है: –

97. निरसन और बचत- (1) इस अधिनियम के लागू होने से पहले किसी राज्य विधानमंडल या उच्च न्यायालय द्वारा मूल अधिनियम में किया गया कोई भी संशोधन, या उसमें डाला गया कोई प्रावधान, जब तक कि ऐसा संशोधन या प्रावधान इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप न हो, निरस्त किया जाएगा।

इस अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि पंजाब न्यायालय अधिनियम की धारा 41 को निरस्त कर दिया गया था क्योंकि यह राज्य विधानमंडल द्वारा प्रमुख अधिनियम में किए गए संशोधन या प्रावधान के बराबर होगा। इस अदालत ने आगे कहा कि, किसी भी स्थिति में, पंजाब न्यायालय अधिनियम की धारा 41 किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून होने के नाते संसद द्वारा बनाए गए बाद के कानून के प्रतिकूल है, अर्थात् नागरिक प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 97 (1), और इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 के संचालन के आधार पर, उक्त प्रावधान किसी भी मामले में अतिरंजित है। उपर्युक्त दो निष्कर्षों पर पहुंचने में, इस न्यायालय ने कहा:

"27. अब हम संशोधन अधिनियम की धारा 97 (1) और उक्त 1976 अधिनियम द्वारा नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के संशोधन की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस संशोधन के माध्यम से, दूसरी अपील का अधिकार केवल झूठ बोलने तक ही सीमित है, जहां 'मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। यह परिचय निश्चित रूप से पंजाब अधिनियम की धारा 41 के विपरीत है जो परी मटेरिया में सिविल प्रक्रिया संहिता की असंशोधित धारा 100 के साथ थी। इस प्रकार, जब तक इस संहिता में इसके विपरीत कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं था, तब तक सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 4 ने विशेष या स्थानीय कानून को बचाया। लेकिन इसके टकराव में आने के बाद, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 4 नहीं बचाएगी, इसके विपरीत इसकी भाषा इस तरह के विशेष या स्थानीय कानून को लागू नहीं करेगी। हम उक्त संशोधन

के बाद भी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 (1) की भाषा के आधार पर प्रतिवादी के लिए प्रस्तुतीकरण की जांच कर सकते हैं। निर्भरता निम्नलिखित शब्दों पर है:

"100. दूसरी अपील - (1) अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान की गई छूट ... फिलहाल लागू किसी भी अन्य कानून द्वारा... ये शब्द संशोधन से पहले भी मौजूद थे और संशोधन से अप्रभावित हैं। इस प्रकार अब तक यह वैध रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है कि, अनुभाग के इस हिस्से को अलग से पढ़ने से यह स्थानीय कानून को बचाता है। लेकिन इसे संशोधन अधिनियम की धारा 97 (1) के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जिसमें लिखा है:

97. निरसन और बचत- (1) इस अधिनियम के लागू होने से पहले किसी राज्य विधानमंडल या उच्च न्यायालय द्वारा प्रधान अधिनियम में किया गया कोई भी संशोधन, या उसमें डाला गया कोई प्रावधान, जब तक कि ऐसा संशोधन या प्रावधान इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप न हो, निरस्त किया जाएगा। (सुविधा के लिए फिर से देखा गया।

28. इस प्रकार, संशोधन अधिनियम की धारा 97 (1) की भाषा स्पष्ट रूप से बताती है कि कोई भी स्थानीय कानून जिसे असंगत कहा जा सकता है, नष्ट हो जाता है, लेकिन यदि ऐसा नहीं है, तो स्थानीय कानून अपने क्षेत्र पर कब्जा करना जारी रखेगा।

29. चूंकि पंजाब अधिनियम की धारा 41 स्पष्ट रूप से संशोधन कानून के साथ विरोधाभासी है, अर्थात धारा 100 यथा संशोधित, इसलिए इसे निरस्त माना जाएगा। इस प्रकार हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि गणपत के मामले में उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा घोषित कानून को कायम नहीं रखा जा सकता है और इस प्रकार इसे खारिज किया जाता है।

25. हमें डर है कि कुलवंत कौर मामले में यह फैसला दोनों प्रस्तावों पर कानून को सही ढंग से नहीं बताता है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, जब सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 97 (1) राज्य विधानमंडल या उच्च न्यायालय के आधार पर प्रमुख अधिनियम में किए गए किसी संशोधन या डाले गए किसी प्रावधान की बात करती है, तो उक्त धारा केवल सिविल प्रक्रिया संहिता में किए गए संशोधनों और/या डाले गए प्रावधानों को संदर्भित करती है, न कि कहीं और। यह धारा 97 (1) में होने वाली अभिव्यक्ति "प्रमुख अधिनियम" से स्पष्ट है। धारा 97 (1) वास्तव में यह बताती है कि जहां कोई राज्य विधानमंडल नागरिक प्रक्रिया संहिता में संशोधन करता है, जो संशोधन केवल राज्य के चार कोनों के भीतर लागू होगा, जिसे भारत के संविधान की अनुसूची VII सूची III प्रविष्टि 13 के तहत किया जा रहा है, तो ऐसा संशोधन निरस्त हो जाएगा यदि यह 1976 में निहित संसदीय अधिनियमन द्वारा संशोधित प्रमुख अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत है। नागरिक प्रक्रिया संहिता में संशोधन। यह उच्च न्यायालय को धारा 97 (1) में संदर्भ से और स्पष्ट हो जाता है। उच्च न्यायालय द्वारा "प्रमुख अधिनियम में सम्मिलित कोई प्रावधान" शब्द सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 122 के संदर्भ में है जिसके द्वारा उच्च न्यायालय अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियम बना सकते हैं, और सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया उनके अधीक्षण के अधीन हो सकते हैं, और ऐसे नियमों द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता की पहली अनुसूची में निहित किसी भी नियम को निरस्त, परिवर्तित या जोड़ सकते हैं।

26. इस प्रकार, नागरिक प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम की धारा 97 (1) के आवेदन पर कुलवंत कौर का निर्णय, कानून में सही नहीं है।

27. यहां तक कि कुलवंत कौर मामले में उक्त निर्णय में इस न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 254 का संदर्भ भी सही ढंग से नहीं दिया गया था। पंजाब कोर्ट एक्ट की धारा 41 1918 की पुरानी है। जाहिर है, इसलिए, यह भारत के संविधान के लागू होने के बाद किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून नहीं है। यह भारत सरकार अधिनियम, 1915 की धारा 80 ए के तहत एक प्रांतीय विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून है, जिसे भारत सरकार अधिनियम, 1935 के प्रारंभ होने से ठीक पहले, ब्रिटिश भारत में लागू कानून होने के नाते, इसकी धारा 292 द्वारा जारी रखा गया था। बदले में, भारत का संविधान लागू होने के बाद और, अनुच्छेद 395 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम, 1935 को निरस्त करने के बाद, पंजाब न्यायालय अधिनियम को भारत के संविधान के अनुच्छेद 372 (1) के आधार पर भारत के संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले भारत के क्षेत्र में लागू कानून के रूप में जारी रखा गया था। यह मामला होने के नाते, भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 का इस तरह के कानून पर कोई आवेदन नहीं होगा क्योंकि यह किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून नहीं है, बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 372 के आधार पर जारी एक मौजूदा कानून है। यदि ऐसा है भी, तो यह अनुच्छेद 372 (केवल 1) है जो ऐसे कानून पर लागू होगा जो सक्षम विधायिका या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित या निरस्त या संशोधित किए जाने तक लागू रहेगा। हमने पहले ही पाया है कि चूंकि सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 97 (1) का पंजाब न्यायालय अधिनियम की धारा 41 पर कोई लागू नहीं है, इसलिए यह आवश्यक रूप से लागू कानून के रूप में जारी रहेगा। इसलिए विश्वनाथन का इस अधिकार पर भरोसा उनके तर्क को आगे नहीं ले जाता है।

12. ऊपर उल्लिखित कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, वकील के मामले (सुप्रा) और सूरत सिंह (मृत) के मामले (सुप्रा) के माध्यम से चांद कौर (डी) में इस अदालत के फैसले वकीलों और अन्य (सुप्रा) के माध्यम से पंकजाक्षी (मृत) में इस न्यायालय की संविधान पीठ के विपरीत हैं और संविधान पीठ के फैसले को मामलों पर निर्णय लेने वाली इस न्यायालय की पीठ के संज्ञान में नहीं लाया जा रहा है, वे मैदान पर कब्जा नहीं करेंगे।

13. तदनुसार अपील खारिज की जाती है।

अपील खारिज।

इला देओल, एडवोकेट